न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 14/2023

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, कालन्द्री, तहसील व जिला– सिरोही
2. जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तह. व जिला–सिरोही (मृतक) के विधिक वारिसानः–

2/1.शायर कुंवर पत्नी स्व. जीवसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तह. सिरोही
2/2.हरीसिंह पुत्र स्व. जीवसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तहसील–सिरोही
2/3.मंगलसिंह पुत्र स्व. जीवसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तहसील–सिरोही
2/4.किशोरसिंह पुत्र स्व. जीवसिंह, जाति–राजपूत, निवासी– कालन्द्री, तह. सिरोही
2/5.जब्बरसिंह पुत्र स्व. जीवसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–कालन्द्री, तहसील–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया, अप्रार्थी संख्या–2/1 से 2/5 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 दिसम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह, निवासी–कालन्द्री के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25.10.1990 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में क्षेत्रफल 3337–6 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (एक) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) प्रकरण में दिनांक 18.12.2024 को बहस सुनी गई। श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– कालन्द्री के पक्ष में जो पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को जारी किया गया है, वह ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब की भूमि में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को आबादी से भिन्न किस्म की भूमि का पट्टा विलेख जारी करने की अधिकारिता नही है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंहजी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख की भूमि विभन्न स्तरों पर हुई जांच में इस पट्टे की भूमि गै.मु. तालाब में होना पाया गया है। ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा तालाब की भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को निरस्त

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 2/1 से 2/5 के विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश दहिया ने अप्रार्थीगण के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी राजपूत, निवासी— कालन्द्री के पक्ष में उसके पुराने पुश्तैनी गृह के आधार पर राजस्थान पंचायती राज नियमों के अर्न्तगत पट्टा जारी किया है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि है तथा मौके पर सघन आबादी क्षेत्र है, जबकि पट्टा जारी किये जाने से पूर्व तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी का मकान आबादी भूमि में होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि पर अन्य लोगों के मकानात भी आज से करीब 70—80 वर्ष पूर्व निर्बाध रुप से मौजूद थे, इस आधार पर ही ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी किये हुये इतने वर्ष व्यतीत हो गये है व मौके पर आवासीय मकान व पुराना कब्जा लगातार चला आ रहा है, लेकिन इतने वर्षो के बाद उक्त भूमि को तालाब भूमि होना बताकर गलत कथनों के आधार पर प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी, जाति— राजपूत, निवासी— कालन्द्री के पक्ष में राजस्थान पंचायत सामान्य नियम, 1961 के नियम 266 के तहत क्षेत्रफल 3337—6 वर्गफीट भूमि का पट्टा सख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत, कालन्द्री के प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25.10.1990 के अनुसरण में जारी किया जाना पट्टे पर अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदनों का अवलोकन करने से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी के पक्ष में जो पट्टा संख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को जारी किया गया है वह ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में जारी किया गया है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 रकबा 4.1300 हेक्टेयर किस्म गै.मु. तालाब भूमि दर्ज है एवं इस खसरा संख्या 2024 के आंशिक भाग पर कुछ कच्चे व पक्के आवासीय मकान बने हुये हैं। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध जांच प्रतिवेदनों के अनुसार ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी के पक्ष में ग्राम कालन्द्री के खसरा संख्या 2024 किस्म गै.मु. तालाब भूमि में पट्टा जारी किया गया है, जबकि तालाब की भूमि में पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है। तालाब की भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है, जिसका पट्टा कानूनन जारी नही किया जा सकता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, कालन्द्री द्वारा जीवसिंह पुत्र मुकसिंह जी, जाति— राजपूत, निवासी— कालन्द्री के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 25.10.1990 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में जारी पट्टा विलेख संख्या 11 दिनांक 25.10.1990 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही